न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 79/2023 बउनवानी मनोहर साकरवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि0 स0मा0 निवासी 5 बत्ती खंगारो की गली बाल विकास स्कूल के पास टोंक
GCMS No-2023/163

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
1.01.2024	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 09.10.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. परिवार राशनकार्ड दुर्गेश देवी आईएचएस कॉलोनी सवाईमाधोपुर 2. राशन कार्ड हेतु प्रस्तुत किये आवेदन पत्र की प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। पैरोकार राजस्व द्वारा जिला रसद अधिकारी स0मा0 के जवाब नोटिस कमांक/आरटीआई/23/392 दिनांक 18.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 9.10.2023 के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 मे चाही गयी सूचना (मूल राशन कार्ड का कार्यालय मे भण्डारण नही किया जाता है।) कार्यालय मे उपलब्ध नही होने एवं चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 9.10.2023 मे चाही गयी सूचना (राशन कार्ड की प्रति कार्यालय मे रक्षित नही करने के कारण) कार्यालय मे उपलब्ध नही होने एवं चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की एवं व्यक्तिगत होने की श्रेणी मे होने के कारण अधिनियम की धारा 11 एवं 8(1) जे के तहत अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner